

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ 4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/ 4541

दिनांक :- 29/09/2019

शुद्धि / संशोधन पत्र

विभिन्न विभागीय आदेश संख्या द्वारा कनिष्ठ लेखाकारों के जारी स्थानान्तरण आदेशों में निम्नानुसार शुद्धि/संशोधन किया जाता है :-

1. आदेश संख्या 480/2019-20 दिनांक 18.09.2019 के क्रम संख्या 07 पर अवस्थित श्री रामकुमार शर्मा का नाम स्थानान्तरण सूची से विलोपित किया जाता है।
2. आदेश संख्या 489/2019-20 दिनांक 20.09.2019 में क्रम संख्या 32 पर अवस्थित श्री संदीप स्वामी एवं आदेश संख्या 498/2019-20 दिनांक 24.09.2019 में क्रम सं. 68 पर अवस्थित श्री जितेन्द्र कुमार मौर्य का नाम स्थानान्तरण सूची से विलोपित किया जाता है।
3. आदेश संख्या 472/2019-20 दिनांक 16.09.2019 में क्रम संख्या 54 पर अंकित श्री उमेश सेकरा के कॉलम संख्या 4 में अवस्थित वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के नाम में कोषाधिकारी, अजमेर के स्थान पर संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर पढ़ा जावे।
4. आदेश संख्या 498/2019-20 दिनांक 24.09.2019 में क्रम संख्या 99 पर अंकित श्री विक्रम मीणा के कॉलम संख्या 4 में अवस्थित वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के नाम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चित्तौड़गढ़ के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ पढ़ा जावे।
5. आदेश संख्या 498/2019-20 दिनांक 24.09.2019 में क्रम संख्या 56 पर अंकित श्री रविन्द्र जाखड़ के कॉलम संख्या 5 में अवस्थित नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नागौर के स्थान पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जायल (नागौर) पढ़ा जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक :- 29/09/2019

क्रमांक :- एफ 4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/ 4541

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री क0 लेखाकार कार्यालय
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (I, II) कार्यालय हाजा।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा, जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस (बचवडे) रिकार्ड संधारण हेतु।
8. रक्षित/ निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)